न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 130/2023
GCMS NO. : 2023/253

–:: वादी :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

1. धर्मीचन्द पुत्र हरजीराम
जाति– माली, निवासी–
आ0कालू, तहसील– जैतारण,
जिला– ब्यावर, राज0।

1. अन्नु पुत्र सोहनलाल
निवासी– खेड़ादेवगढ़
2. अशोक पुत्र बाबूलाल
3. इन्द्रा पुत्री बाबूलाल
4. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल
5. कालीदेवी पुत्री बाबूलाल
6. चेतनराम पुत्र ढगलाराम
निवासीगण– निमाज,
7. चम्पालाल पुत्र हरजीराम
निवासी– खेड़ादेवगढ़
8. ढगलाराम पुत्र बचनाराम
जातियान– माली, निवासी– निमाज
9. तेजराज पुत्र इन्दरमल
जाति– ओसवाल, निवासी– जयपुर
10. दुर्गा पुत्र सोहन,
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़,
11. निरमा पुत्री सोहन
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़
12. पुकलीदेवी पत्नी मांगीलाल
जाति– माली, निवासी– निमाज
13. पेमाराम पुत्र हरजीराम
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़
14. परमीदेवी पत्नी लालुराम
जाति– सीरवी, निवासी– खेड़ादेवगढ़
15. पिन्टुदेवी पुत्री बाबूलाल
16. बद्रीलाल पुत्र बाबूलाल
17. मोतीलाल पुत्र छैलाराम
जातियान– माली, निवासीगण– निमाज

18. मोनू पुत्री सोहनलाल
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़
19. रूकमादेवी पुत्री बाबूलाल
जाति– माली, निवासी– निमाज
20. रामकन्या पत्नी सोहनलाल
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़
21. रामेश्वरलाल पुत्र हरजीराम
22. लाबुराम पुत्र बाबुलाल
जाति– माली, निवासी– निमाज
23. लीलादेवी पुत्री बाबुलाल
जातियान– माली, निवासीगण– निमाज
24. विमला पुत्री हरजीराम
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

25. सुखीदेवी पत्नी मोहनलाल
जाति– माली, निवासी– निमाज
26. सुगनलाल पुत्र हरजीलाल
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़
27. सुगनाराम पुत्र मोहनलाल
28. सम्पतराज पुत्र मोहनलाल
29. सोहनीदेवी पत्नी बाबूलाल
जातियान– माली, निवासीगण– निमाज
30. हापूराम पुत्र हरजीराम
जाति– माली, निवासी– खेड़ादेवगढ़
31. पुखली पत्नी मांगीलाल
जाति– कुमावत, निवासी– मोहराई
तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर,
राजस्थान।
32. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राज0

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:. 23.06.2023</u>

उपस्थितः–
1. श्री किशोर कुमावत बिरोल, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महावीर सिंह उदावत, श्री विनोद चौहान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 31, समीर खान, श्री सुरेश कुमावत, अधि. प्रतिवादी. संख्या 14।

<u>–:: निर्णय ::–</u> <u>दिनांकः– 07/11/2024</u>

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, में वादी की खरीद सुदा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 927 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की आई हुई है। जिसमें वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने 559/12546वें हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार जिस प्रकार मौके पर काबिज है, उसका नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें वादी के हक हिस्से की भूमि को लाल रंग से दर्शित किया गया है। उसी अनुरूप वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि शामलाती दर्ज होने से तथा उसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। जिसमें वादी अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने, खाद बीज डालने, बैंक से ऋण लेने भूमि का भू रूपान्तरण करवाने, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने आदि में अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी ने उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार काश्तकार तेजराज से उक्त कृषि भूमि खरीद की जो

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

राष्ट्रीय राजमार्ग बर–बिलाड़ा–जोधपुर के चिपते ही कृषि भूमि खरीद की थी। इसलिए वादी के पास उक्त आराजी में अपने नजरी नक्शे में बताये लाल रंग के भू–भाग के हक हिस्से कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादी की ओर से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने नजरी नक्शे में बताये लाल रंग के अपने हक हिस्से की भूमि का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने बाबत् प्रतिवादीगण को दिनांक 20/05/2023 को आग्रह किया जिस पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं उल्टा वादी को यह ऐलानियां धमकी दी कि वादी को बेदखल करेगें एवं बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही अजनबी व्यक्ति को बेचान कर मौके पर कब्जा करेगें तथा सम्पूर्ण फ्रन्ट पर प्रतिवादीगण ही कब्जा करेगें, यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसूबो मे कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है तथा वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 33 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 20/05/2023 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को संयुक्त सामलाती भूमि का नजरी नक्शे मे बताये लाल रंग के अपने हक हिस्से भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने का आग्रह करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने व वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देने की ऐलानियां धमकी देने पर बमुकाम निमाज प्रथम तहसील जैतारण मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस् वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 14 व 16 से 32 को बार बार आवाजें दिलाई गई तथा बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 14 व 31 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 15 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि वादपत्र के पद सख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि ग्राम निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम मे वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई होने का कथन सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित तथ्य वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त सामलाती होने एवं जिसका राजस्व रेकर्ड मे बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नहीं हो रखा है जबकि वादग्रस्त आराजी का मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस पद में वर्णित अन्य तथ्य सही होने से जबाब देहन्दा स्वीकार करती है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि वादी ने जबाब देहन्दा को दिनांक 20/05/2023 को बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने का कथन कभी नहीं किया मात्र वादपत्र करने की गरज से झूठे तथ्य अंकित किये है। फिर भी वादी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाना चाहता है तो उसमे जबाबदेहन्दा को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है तथा वादी के साथ साथ जवाबदेहन्दा की खरीद सुदा कृषि भूमि सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा उसके बाद जवाबदेहन्दा ने अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में चार दीवारी करवाकर के नया कुआ खुदवाया एवं नया कुआ खुदवाकर उसमे नया विद्युत कनेक्शन लिया है। जिस अनुसार जवाब देहन्दा वादग्रस्त आराजी में से अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। उसका नजरी नक्शा बनाकर जवाब वादपत्र के साथ पेश है। इसी नजरी नक्शे एव राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा किया जाकर वादी का वादपत्र डिकी किया जावें। अतः वादी का वादपत्र माफिक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार वादी के साथ जवाब देहन्दा का भी जवाब वादपत्र के साथ नजरी नक्शे अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा किया जाकर वादी का वादपत्र डिकी किया जावे। वादी ने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र पेश किया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाए जो शामिल मिसल किए। बहस अधिवक्ता वादी उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, जवाब दावा, साक्ष्य शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा निमाज प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 927 की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, अतः हम खसरा नम्बर 927 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 व 31 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 927 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/971 दिनांक 02/09/2024 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/5574 दिनांक 14/10/2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 927 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 व 31 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	धर्मीचन्द पुत्र हरजीराम जाति– माली सा0 आनन्दपुर कालू खातेदार।	927/5	0.2105	चाही प्रथम	---
2.	परमीदेवी पत्नी लालुराम कौम सीरवी सा0 खेड़ादेवगढ़ खातेदार।	927/6	1.3031	चाही प्रथम	----
3.	पुखलीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति– कुमावत सा0 मोहराई खातेदार	927/8	0.161874	चाही प्रथम	----
4.	अन्नु, दुर्गा, निरमा, मोनू पि0 सोहनलाल, रामकन्या पत्नी सोहनलाल हि. 11/518, पेमाराम, सुगनलाल, हापूराम, रामेश्वरलाल, चम्पालाल, विमला पि0 हरजीराम हि. 66/518, मोतीलाल पुत्र छैलाराम हि. 08/370, बेरा डाबला निमाज, चुनीदेवी पत्नी हरजीराम हि. 15/370, चेतनराम पुत्र ढगलाराम हि. 09/370, ढगलाराम पुत्र बचनाराम हि. 96/370, सुगनाराम, सम्पतराज, ओमप्रकाश पि0 मोहनलाल हि. 72/370, सुखी देवी पत्नी मोहनलाल हि. 04/370, अशोक, बद्रीलाल, लाबूराम, इन्द्रा, कालीदेवी, पिन्टुदेवी, रुकमादेवी, लीलादेवी पि0 बाबूलाल, सोहनीदेवी पत्नी बाबूलाल हि. 96/370 जाति– माली सा0 देह खातेदार, तेजराज पुत्र इन्दरमल जाति– ओसवाल भण्डारी हि. 15/370 सा0 देह हाल. H.U.F न्यूलाई कॉलोनी टोंक रोड जयपुर खातेदार।	927	2.9947	चाही प्रथम	
5.	अन्नु, दुर्गा, निरमा, मोनू पि0 सोहनलाल, रामकन्या पत्नी सोहनलाल, पेमाराम, सुगनलाल, हापूराम, रामेश्वरलाल, चम्पालाल, विमला पि0 हरजीराम हि. 1/6, चेतनराम पुत्र ढगलाराम, चुनीदेवी पत्नी हरजीराम हि.	927/7	0.0405	चाही प्रथम	

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

	1/12, मोतीलाल पुत्र छैलाराम हि. 1/12 बेरा डाबला निमाज, सम्पतराज, ओमप्रकाश, सुगनाराम पि0 मोहनलाल हि. 1/8, सुखी देवी पत्नी मोहनलाल हि. 1/48, अशोक, बद्रीलाल, लाबूराम, इन्द्रा, कालीदेवी, पिन्टुदेवी, रुकमादेवी, लीलादेवी पि0 बाबूलाल, सोहनीदेवी पत्नी बाबूलाल हि. 1/6, ढगलाराम पुत्र बचनाराम हि. 1/6, जाति– माली सा. देह, तेजराज पुत्र इन्दरमल हि. 1/12 जाति ओसवाल भण्डारी सा. देह पुखलीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति– कुमावत सा0 मोहराई हि. 1/48, परमीदेवी पत्नी लालुराम हि. 1/12 जाति– सीरवी सा0 खेड़ादेवगढ़ खातेदार।				

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

-:: वादी :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

वादी

1. धर्मीचन्द पुत्र हरजीराम
जाति- माली, निवासी-
आ0कालू, तहसील- जैतारण,
जिला- ब्यावर, राज0।

प्रतिवादीगण

1. अन्नु पुत्र सोहनलाल
निवासी- खेड़ादेवगढ़
2. अशोक पुत्र बाबूलाल
3. इन्द्रा पुत्री बाबूलाल
4. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल
5. कालीदेवी पुत्री बाबूलाल
6. चेतनराम पुत्र ढगलाराम
निवासीगण- निमाज,
7. चम्पालाल पुत्र हरजीराम
निवासी- खेड़ादेवगढ़
8. ढगलाराम पुत्र बचनाराम
जातियान- माली, निवासी- निमाज
9. तेजराज पुत्र इन्दरमल
जाति- ओसवाल, निवासी- जयपुर
10. दुर्गा पुत्र सोहन,
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़,
11. निरमा पुत्री सोहन
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़
12. पुकलीदेवी पत्नी मांगीलाल
जाति- माली, निवासी- निमाज
13. पेमाराम पुत्र हरजीराम
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़
14. परमीदेवी पत्नी लालुराम
जाति- सीरवी, निवासी- खेड़ादेवगढ़
15. पिन्टुदेवी पुत्री बाबूलाल
16. बद्रीलाल पुत्र बाबूलाल
17. मोतीलाल पुत्र छैलाराम
जातियान- माली, निवासीगण- निमाज
18. मोनू पुत्री सोहनलाल
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़
19. रुकमादेवी पुत्री बाबूलाल
जाति- माली, निवासी- निमाज
20. रामकन्या पत्नी सोहनलाल
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़
21. रामेश्वरलाल पुत्र हरजीराम
22. लाबुराम पुत्र बाबुलाल
जाति- माली, निवासी- निमाज
23. लीलादेवी पुत्री बाबुलाल
जातियान- माली, निवासीगण- निमाज
24. विमला पुत्री हरजीराम
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़
25. सुखीदेवी पत्नी मोहनलाल
जाति- माली, निवासी- निमाज
26. सुगनलाल पुत्र हरजीलाल
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

27. सुगनाराम पुत्र मोहनलाल
28. सम्पतराज पुत्र मोहनलाल
29. सोहनीदेवी पत्नी बाबूलाल
जातियान- माली, निवासीगण- निमाज
30. हापूराम पुत्र हरजीराम
जाति- माली, निवासी- खेड़ादेवगढ़
31. पुखली पत्नी मांगीलाल
जाति- कुमावत, निवासी- मोहराई
तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर,
राजस्थान।
32. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण,
जिला- ब्यावर, राज0

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 37/2023
निर्णय व डिक्री दिनांक :- 07/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री किशोर कुमावत बिरोल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री महावीर सिंह उदावत, श्री विनोद चौहान, श्री समीर खान, श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील जैतारण जिला- ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 927 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 व 31 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	धर्मीचन्द पुत्र हरजीराम जाति- माली सा0 आनन्दपुर कालू खातेदार।	927/5	0.2105	चाही प्रथम	---
2.	परमीदेवी पत्नी लालुराम कौम सीरवी सा0 खेड़ादेवगढ़ खातेदार।	927/6	1.3031	चाही प्रथम	----
3.	पुखलीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति- कुमावत सा0 मोहराई खातेदार	927/8	0.161874	चाही प्रथम	----
4.	अन्नु, दुर्गा, निरमा, मोनू पि0 सोहनलाल, रामकन्या पत्नी सोहनलाल हि. 11/518, पेमाराम, सुगनलाल, हापूराम, रामेश्वरलाल, चम्पालाल, विमला पि0 हरजीराम हि. 66/518, मोतीलाल पुत्र छैलाराम हि. 08/370, बेरा डाबला निमाज, चुनीदेवी पत्नी हरजीराम हि. 15/370, चेतनराम पुत्र ढगलाराम हि. 09/370, ढगलाराम पुत्र बचनाराम हि. 96/370, सुगनाराम, सम्पतराज, ओमप्रकाश पि0 मोहनलाल	927	2.9947	चाही प्रथम	

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

	हि. 72/370, सुखी देवी पत्नी मोहनलाल हि. 04/370, अशोक, बद्रीलाल, लाबूराम, इन्द्रा, कालीदेवी, पिन्टुदेवी, रूकमादेवी, लीलादेवी पि0 बाबूलाल, सोहनीदेवी पत्नी बाबूलाल हि. 96/370 जाति– माली सा0 देह खातेदार, तेजराज पुत्र इन्दरमल जाति– ओसवाल भण्डारी हि. 15/370 सा0 देह हाल. H.U.F न्यूलाई कॉलोनी टोंक रोड जयपुर खातेदार।				
5.	अन्नु, दुर्गा, निरमा, मोनू पि0 सोहनलाल, रामकन्या पत्नी सोहनलाल, पेमाराम, सुगनलाल, हापूराम, रामेश्वरलाल, चम्पालाल, विमला पि0 हरजीराम हि. 1/6, चेतनराम पुत्र ढगलाराम, चुनीदेवी पत्नी हरजीराम हि. 1/12, मोतीलाल पुत्र छैलाराम हि. 1/12 बेरा डाबला निमाज, सम्पतराज, ओमप्रकाश, सुगनाराम पि0 मोहनलाल हि. 1/8, सुखी देवी पत्नी मोहनलाल हि. 1/48, अशोक, बद्रीलाल, लाबूराम, इन्द्रा, कालीदेवी, पिन्टुदेवी, रूकमादेवी, लीलादेवी पि0 बाबूलाल, सोहनीदेवी पत्नी बाबूलाल हि. 1/6, ढगलाराम पुत्र बचनाराम हि. 1/6, जाति– माली सा. देह, तेजराज पुत्र इन्दरमल हि. 1/12 जाति ओसवाल भण्डारी सा. देह पुखलीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति– कुमावत सा0 मोहराई हि. 1/48, परमीदेवी पत्नी लालुराम हि. 1/12 जाति– सीरवी सा0 खेड़ादेवगढ़ खातेदार।	927/7	0.0405	चाही प्रथम	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07/11/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	17	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजानः-	22	00	मिजानः-	02	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।